Statement-I

S.No. Name of the Scheme

Health

1. Static-cum-mobile/Static Allopathic and Static Ayurvedic dispensaries for Beedi Workers.
2. Scheme for Reservation of Beds in T.B. Hospitals for Beedi Workers.
3. Scheme for Domicilliary Treatment of Beedi Workers.
4. Scheme for Treatment of Beedi Workers suffering from Cancer.
5. Scheme for Treatment of Beedi Workers suffering from Mental Diseases.
6. Scheme for treatment of Beedi Workers (including Gharkhata Workers) suffering from Leprosy.
7. Grant of Financial Assistance to Beedi Workers for purchase of Spectacles.
8. Maternity Benefit Scheme for Female Beedi Workers.
9. Scheme for payment of Monetary Compensation for sterilisation to Beedi Workers.
10. Re-imbursement of expenditure as financial assistance to Beedi Workers in respect of Heart Diseases.
11. Re-imbursement of expenditure as financial assistance to Beedi Workers in respect of Kidney Transplantation.

Social Security Scheme

1. Group Insurance Scheme for Beedi Workers.

Housing

1. Build Your Own House Scheme for Beedi Workers.
2. Housing Scheme for Economically Weaker Sections of Beedi Workers.
3. Grant of subsidy to co-operative societies of Beedi Industry for construction of worksheds and godowns.
4. Group Housing Scheme for Beedi Workers.

Education

1. Award of Scholarship to the children of Beedi Workers including Gharkhata Beedi Workers.
2. Composite scheme for Financial Assistance to the School going children of Beedi Workers for supply of one set of dress and slates, note books, text books.

Recreation

1. Establishment of Audio Visual Sets/Cinema Vans/Exhibition of films.
2. Organising sports, games, social and cultural activities for Beedi Workers.
3. Holiday Home Scheme for Beedi Workers.
4. Supply of T.V. Sets to the Beedi Workers Industrial Co-operative Societies.

Statement-II

Number of beneficiaries and the amount spent under important Welfare Schemes for the beedi workers out of the Beedi Workers Welfare Fund in the State of Karnataka

Year	No. of beneficiaries		Amount incurred (in Lakhs)
(a) Purchase of Medicines for dispensaries/hospital:			
1992-93	4,32,725	(Patients treated)	13.84
1993-94	4,45,796	-do-	14.94
1994-95 (upto Feb.95)	4,37,406	-do-	21.15
(b) Education (Scholarships/uniforms etc.):			
1992-93	8281		22.54
1993-94	18929		66.11
1994-95 (upto 2/95)	27752		97.02
(c) Housing under E.W.S.			
1992-93	400 (houses)		23.20
1993-94	1305 (houses)		75.75

महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अपने ऋण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहना

*191. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार, रेलवे और विद्युत के महत्वपूर्ण क्षेत्र लगातार दूसरे वर्ष अपने ऋण संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुल क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों की सहायता के लिए कुछ उपाय करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) और (ख) 1993-94 तथा 1994-95 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार दूर संचार तथा रेलवे के संबंध में योजना आयोग द्वारा निर्धारित ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी नहीं रही है। तथापि, विद्युत क्षेत्र में कमी रही है। 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए बाण्डों तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में कुल लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) विद्युत परियोजनाओं की दीर्घ परिपक्वता अवधि विद्युत के उत्पादन / वितरण की पूर्ण लागत वसूली में कठिनाइयों आदि के कारण उधारों के माध्यम से संशोधन उगाहने में विद्युत क्षेत्रक में सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की अंतर्निहित अक्षमता को ध्यान में रखते हुए अन्य साधनों के माध्यम से विद्युत क्षेत्रक में निवेश हेतु प्रयासों को गति देना आवश्यक हो गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, सरकार ने एक नीति तैयार की है, ताकि विद्युत क्षेत्र में निजी उपक्रमों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये हैं: ऋण इक्विटी अनुपात 4:1 तक, विदेशी निजी निवेशों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) इक्विटी भागेदारी और विद्युत उपकरणों के आयात के लिए कम सीमा शुल्क आदि।

विवरण

विद्युत क्षेत्रक (नाभिकीय विद्युत निगम सहित) में 1992-93 से 1994-95 के लिए बाण्डों तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में कुल लक्ष्य तथा उपलब्धियां।

करोड़ रू० में)

	बाण्ड	विदेशी वाणिज्यिक उधार
1992-93		
बजट अनुमान	2204.40	1300.00
संशोधित अनुमान	2547.00	865.70
1993-94		
बजट अनुमान	2545.63	1500.00
संशोधित अनुमान	1885.00	615.03
1994-95		
बजट अनुमान	2801.00	1187.10
संशोधित अनुमान	1943.51	881.03

नोट: 1. बी ई का तात्पर्य है बजट अनुमान, जो लक्ष्यों को दर्शाता है, जबकि आर ई संशोधित अनुमान है, जो उपलब्धियों को दर्शाता है।

2. विपरीत पूंजी बाजार स्थितियों के कारण, वित्त मंत्रालय से प्राप्त बाण्डों (145 करोड़ रुपये) के माध्यम से उगाही गई राशि के आंकड़ों के अनुसार उपलब्धियां 1992-93 में बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान, दोनों की तुलना में बहुत कम रही है।

Formation of Asian Economic Community

*192. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at a national seminar on Globalisation held in New Delhi on December 21, 1994 an unanimous demand was made to strengthen the SAARC and for constitution of an Asian Economic Community with India as its leader to strengthen trade and economic ties; and

(b) if so, what is Government's reaction and decision with regard to formation of an Asian Economic Community?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Media reports about a seminar referred to by the